

| | | |
|--------------------|---|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>भोमाराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 102/2022</p> | <p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>08-06-2022</p> | <p>अपीलार्थी भोमाराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल, पता गावं राबड़िया, पोस्ट चिंचड़ली तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.03..2022 में (1) उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के प्रकरण सं0 107/1962 जो अभिलेखागार जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर में जमा है, में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.1966 की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 661 दिनांक 20.05.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने से आवेदन पत्र की छाया प्रति धारा 5(4)के तहत कार्यालय पत्रांक 224 दिनांक 08.03.22 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु अभिलेख अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में यह भी प्रार्थना की गई कि प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से इन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(5) क अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जावे।</p> <p>अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> | |